पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह की पत्नी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु

अलवर/बाडमेर, (निसं)। राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल के ठाकर जसवंत सिंह के बेटे पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की पत्नी चित्रा सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में मानवेंद्र सिंह, उनका बेटा हमीर सिंह और ड्राइवर घायल हो गए हैं।

हादसा मंगलवार शाम 5 बजे अलवर के नौगांवा के पास खुसपुरी (हरियाणा बॉर्डर) पर हुआ। घायलों को अलवर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मानवेंद्र सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह के बेटे हैं। मानवेंद्र सिंह के बेटे हमीर सिंह के हाथ और नाक में फ्रैक्चर है।

हादसे की जानकारी मिलने पर उनके जानकार अस्पताल में पहुंचे। सिंह पूरे परिवार के साथ दिल्ली से जयपुर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनका

पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह

मानवेन्द्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह, जिनकी मंगलवार को दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

- मानवेन्द्र सिंह व उनके पुत्र हमीर सिंह भी घायल हुए। डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है।
- दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर हरियाणा की सीमा के पास उनकी कार पिलर से टकरा गयी थी।

एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना में मानवेन्द्र सिंह की कार एक खंभे से जा टकराई। अलवर के ए.एस.पी. तेजपाल सिंह ने बताया कि, हादसा किस वजह से हुआ, फिलहाल, इसके स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं।

ज्ञातव्य है कि, जसवंत सिंह भाजपा से राजनीतिक तकरार के बाद कांग्रेस में आ गये थे। लंबे समय से जोधपुर एयरफोर्स क्षेत्र में रह रहे जसवंत सिंह का पैतृक गांव जसोल है। पूर्व विदेश मंत्री की पुत्रवधू चित्रा सिंह चितौडगढ़ के भैंसरोडगढ़ राजघराने परिवार से हैं।

सांसदों का निलम्बन रद्द किया जाएगा

नयी दिल्ली, 30 जनवरी। संसद के बजट सत्र में संसद में, अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकार ने पिछले सत्र में निलम्बित सांसदों का निलम्बन वापस लेने का प्रस्ताव किया है और दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपेक्षा की है। बुधवार से शुरु हो रहे संसद के संक्षिप्त बजट सत्र से पहले मंगलवार को यहां हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं से कहा कि, उन्होंने सांसदों का निलम्बन वापस लेने के बारे में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति से बात की है। उन्होंने कहा कि, बैठक में कुल 30 दलों के 45 नेताओं ने हिस्सा लिया और सभी ने अनुकूल माहौल में अपनी बातें रखीं। बैठक में सरकार ने सांसदों से आग्रह किया है कि, यह 17वीं लोकसभा का आखिरी और बहुत छोटा सत्र है। सत्र में संसद का काम पूरा हो सके इसलिए सौहार्द्रपूर्ण माहौल में संसद चलाने दें।

मुख्यमंत्री ने पी.एम. सम्मान निधि, पेंशन और गेहूं की फसल पर बोनस राशि बढ़ाई

- मुख्यमंत्री ने गेहूं की खरीद पर प्रति क्विंटल 125 रू. बतौर बोनस देने की घोषणा की।
- किसानों को पी.एम. सम्मान निधि के तहत प्रति वर्ष 6000 रू. की बजाय 8000 रू. मिलेंगे।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी 150 रू. की वृद्धि की गई, अब विधवा, बुजुर्गों व परित्याक्ताओं को प्रति माह 1000 रू. की बजाय 1150 रू. मिलेंगे।

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 30 जनवरी। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने किसानों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रधानमंत्री सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर गेहूं की खरीद में बोनस राशि की बढ़ोतरी की है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में कहा कि, पी.एम. सम्मान निधि के तहत अब किसानों को हर साल 8 हजार रुपए मिलेंगे, जबकि पूर्व में 6 हजार रुपए मिलते थे।

इससे राजस्थान सरकार पर 1300 करोड़ रुपए का भार आएगा। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर गेहूं की फसल पर किसानों को प्रति क्विंटल 125 रू. का बोनस देने की घोषणा की। अब तक गेहूं की फसल पर बोनस सहित प्रति क्विंटल 2275 रुपए मिलते थे, अब 2400 रुपए प्रति क्विंटल की राशि दी जायेगी। राज्य सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से 2700 रु. प्रति क्विंटल तक बढ़ाएगी।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में भी 150 रुपए की बढ़ोतरी की है। विधवा, बुजुर्गों और परित्यक्ताओं को अब हर महीने एक हजार के बजाय 1150 रुपए मिलेंगे। इससे सरकार पर 1800 करोड़ रुपए का भार आएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पाक विस्थापित परिवारों को आवास व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार अलग से योजना लाएगी।

अलवर में 10 करोड़ रू. की सरकारी भूमि हड़पने का मामला सामने आया

पी.डब्ल्यु.डी. के अफसरों की मिली-भगत से 0.217 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा किया गया है

- यह मामला पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुआ है, जिस पर से हाल ही में पर्दा उठा है।
- इस मामले में उपमुख्यमंत्री व पी.डब्ल्यु.डी. मंत्री दिया कुमारी से दो अधिकारियों के निलंबन की सिफारिश की गई है।

जयपुर, 30 जनवरी (का.सं.)। नई राज्य सरकार के गठन के बाद पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार व बेतरतीब फैसलों की जांच के दौरान अलवर में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) की 0.217 हैक्टेयर भूमि विभाग के अफसरों की मिली भगत से हड़पने का मामला सामने आया है। उक्त भूमि का मूल्य लगभग 10 करोड़ बताया जा रहा है। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि, इस मामले की जांच के दौरान अधिशाषी अभियंता के स्तर से ऊँचे दो अफसरों के निलंबन के लिए उपमुख्यमंत्री और पी.डब्लयु.डी मंत्री दिया कुमारी और एडीशनल चीफ सैक्रेटरी (पी.डब्ल्यु.डी.) से सिफारिश की गई है, जिस पर शीघ्र कार्यवाही हो सकती है।

तथ्यों के अनुसार 6 सितम्बर 2023 को विद्युत खंड अलवर के अधिशाषी अभियंता ने अपने कार्यालय को अधीक्षण अभियंता कार्यालय में स्थानांतरित करने के लिये पत्र लिखा, जो पी.डब्ल्यू.डी. की 0.217 हैक्टेयर भूमि पर स्थित है। हैरानी की बात है कि, 12 सितम्बर 2023 को स्थानांतरित करने के आदेश भी प्राप्त हो गये, जबकि नियमानुसार कार्यालय स्थानांतरण करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग की सक्षम स्वीकृति ली जानी चाहिये थी।

तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि, जिस समय उक्त भूमि से कार्यलय स्थानांतरण के लिये पत्र लिखा गया था और उसकी स्वीकृति मिली थी, उसके तुरंत बाद ही पी.डब्ल्यू. डी. की उक्त भूमि पर एक प्राईवेट व्यक्ति का कब्जा होने की जानकारी भी मिली। यह घटनाक्रम बेहद संदेहास्पद था और इसके लिये अलवर अधीक्षण अभियंता कार्यालय के अधिकारी की जिम्मेदारी व जवाबदेही बताई जा रही है।

'बेरोजगार युवा इज़रायल जाने को मजबूर हैं'

नयी दिल्ली, 30 जनवरी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर युवकों को रोजगार मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाते हुए कहा है कि, हर साल दो करोड़ युवकों को रोजगार देने का वादा जुमला साबित हुआ है और यही वजह है कि, बेरोजगार युवा युद्धग्रस्त इजराइल जाकर खतरा उठाने को मजबूर हैं और सरकार के पास कोई उपाय नहीं है।

वाड्रा ने कहा, अगर कहीं पर युद्ध के हालात हैं तो सबसे पहले हम अपने नागरिकों को वहाँ से बचाकर, वापस अपने वतन लाते हैं लेकिन बेरोजगारी ने आज वो हाल कर दिया है कि देश की सरकार हजारों असहाय और मजबूर युवाओं को युद्धग्रस्त इजराइल जाकर ये खतरा उठाने से भी बचा नहीं रही है।

सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की घोषणा की

- मई में होने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की यह पहली सूची है।

लखनऊ, 30 जनवरी। समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए मंगलवार को मौजूदा सांसद डिंपल यादव और शफीकुर रहमान बर्क समेत 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को उसी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह, मैनपुरी सीट से मौजूदा सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ेंगी।

गौरतलब है कि, डिंपल ने 2022 में पार्टी संरक्षक और अपने ससुर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर उपचुनाव जीता था। मैनपुरी को सपा का आधार माना जाता है।

पार्टी ने पूर्व सांसद और सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को फिरोज़ाबाद से अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि अखिलेश के चचेरे भाई और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव बदायूं सीट से चुनाव लड़ेंगे।

पार्टी ने लखनऊ से मौजूदा विधायक रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। इसी तरह अंबेडकर नगर सीट से मौजूदा विधायक लालजी वर्मा का पर्चा दाखिल किया गया है। एक अन्य विधायक अवधेश प्रसाद को अयोध्या से उम्मीदवार बनाया गया है।

पूर्व सांसद अनु टंडन उन्नाव से चुनाव लड़ेंगी। अनु टंडन 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर इसी सीट से सांसद चुनी गई थीं, बाद में वह 2020 में सपा में शामिल हो गईं।

पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया को लखीमपुर खीरी जिले की धौरेहरा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। छात्र नेता के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले भदौरिया को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में सपा ने अभिनेत्री काजल निषाद को मैदान में उतारा है, वहीं, एटा से पार्टी ने देवेश शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया है।

खीरी सीट पर उत्कर्ष वर्मा सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। डॉ. नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ेंगे, वहीं राजा राम पाल अकबरपुर से पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। बांदा से पूर्व मंत्री शिव शंकर सिंह पटेल को मैदान में उतारा गया है।. इसी तरह पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी बस्ती सीट से चुनाव लड़ेंगे।

ई.डी. ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मोदी ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि, ईडी पर दबाव बनाने और अफसरों को डराने के लिए अपनाये जा रहे हथकंडों से न तो जांच रुकेगी और न लालू परिवार दोषमुक्त हो पाएगा। उन्होंने कहा कि, रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लेने तथा धन-शोधन (मनी लॉण्डरिंग) के प्रमाण मिलने पर सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया और इस आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पिछले साल से लगातार कार्रवाई कर रहा है। पटना में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ इसी प्रक्रिया की ताजा कड़ी है। भाजपा सांसद ने कहा कि, 10 मार्च 2023 को दिल्ली-पटना में लालू परिवार के विभिन्न परिसरों पर छापा मारा गया और एक करोड़ रुपये नकद तथा 1.25 करोड़ रुपये मूल्य का कीमती सामान जब्त किया गया था। ईडी ने उसी समय छह करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मकान, फ्लैट और दिल्ली का बंगला भी जब्त किया था। ग्यारह नवम्बर 2023 को लालू परिवार के लिए काम करने वाली फर्जी कंपनी ए.के. इन्फोसिस्टम्स और ए.बी. एक्सपोर्ट्स के मालिक अमित कात्याल की गिरफ्तारी हुई। वह अब भी न्यायिक हिरासत में है।

'रिव्यु ऑर्डर्स ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जम्मू कश्मीर में इंटरनैट कनैक्शन के संबंध में दायर समीक्षा आदेश को प्रकाशित करने की मांग की गई थी।

"जब नटराज ने कहा कि याचिककर्ता आदेश प्रकाशित करने की मांग कर रहे हैं तो बैंच ने पूछा समीक्षा आदेश किसलिए हैं? वे अलमारी में बंद करके रखने के लिए नहीं हैं।"

बैंच ने आदेश दिया हमारी राय है कि कमेटी में जो चर्चा हुई उसे प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है पर कमेटी द्वारा पारित समीक्षा आदेश प्रकाशित किया जाना चाहिए। नटराज ने दो सप्ताह का समय मांगा इसलिए दो सप्ताह बाद फिर से मामला सुना जाएगा। फाउण्डेशन ऑफ मीडिया की तरफ से पैरवी के लिए उपस्थित एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि प्रशासन को केन्द्र शासित प्रदेश में इंटरनैट पर बैन से संबंधित मूल आदेश व समीक्षा आदेश अनुराधा भसीन बनाम केन्द्र सरकार केस में 2020 के फैसले और टेलीग्राफ एक्ट के तहत प्रकाशित करना चाहिए।

नटराज ने कहा कि, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने के समय जब इंटरनैट सेवा बंद की गई थी तब ये मुद्दे उठे थे। पूर्व याचिकाओं में जो भी निवेदन किए गए थे हमने सभी पर विचार किया था। एक अवमानना याचिका भी दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। अब वे विशेष कमेटी की बातचीत और चर्चा को प्रकाशित करने की बात कर रहे हैं। जस्टिस गढ़वी ने कहा कि चर्चा की बात भूल जाइए आप सिर्फ आदेश प्रकाशित कर दें। वे सिर्फ समीक्षा आदेश चाहते हैं।

चडीगढ़ युनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू राज्यसभा में मनोनीत

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिसूचना जारी की।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घोषणा पर खुशी जताई तथा शिक्षा के क्षेत्र में संधू के योगदान की प्रशंसा की।

नयी दिल्ली, 30 जनवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्य सभा के लिए मनोनीत किया है।

राष्ट्रपति भवन की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार मुर्मू ने राज्य सभा में नामित सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों पर एक रिक्ति को भरने के लिए संविधान के अनुच्छेद 80 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए संधू की नियुक्ति की है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षाविद् संधू को राज्य सभा के लिए मनोनीत किए जाने जाने पर मंगलवार को प्रसन्नता व्यक्त की। धनखड़ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा , सामुदायिक सेवा में उनका समृद्ध कार्य और शिक्षा, नवाचार और सीखने के प्रति उनका जुनून राज्यसभा के लिए शक्ति का बड़ा स्त्रोत होगा। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में संधू के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि, सदन की कार्यवाही उनके विचारों से समृद्ध होगी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर वक्तव्य में कहा, मुझे प्रसन्नता है कि, राष्ट्रपति जी ने सतनाम सिंह संधू जी को राज्यसभा के लिए नामित किया है।

'ज्ञानवापी में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से फव्वारा है।

हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्ज़िद परिसर में मिली जिस संरचना के लिए हिंदू शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं, उसकी विस्तृत जांच के लिए आर्किऑलजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (ए.एस.आई.) को निर्देश दिए जाए, (वर्तमान में यह स्थल सील किया हुआ है)। यह निवेदन किया गया कि शिवलिंग की मूल संरचना और उसकी सम्बद्ध विशेषताओं का पता लगाने के लिए शिवलिंग का ए.एस.आई. सर्वे जरूरी है।

हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच कराए जाने को लेकर प्रस्तुत अपने आवेदन में कहा कि "ए.एस.आई. ने सील्ड एरिया के अलावा पूरे मस्ज़िद परिसर का सर्वे कर लिया है और अब यह जरूरी है कि ए.एस.आई. सील्ड एरिया का भी सर्वे करे अन्यथा सर्वे का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और सील्ड एरिया संबंधित ए.एस.आई. की कोई रिपोर्ट भी सामने नहीं आएगी।"

हिंदू पक्ष ने आगे कहा है कि "शिवलिंग वाली जगह के चारों और कृत्रिम दीवारें बना दी गई हैं, जो कि एक मॉडर्न कन्स्ट्रक्शन है तथा मूल इमारत से इसका कोई लेना-देना नहीं है। यह मॉडर्न कन्स्ट्रक्शन शिवलिंग से सम्बद्ध मूल विशेषताओं जैसे कि पीठ, पीठिका आदि को ढकने के लिए जानबूझकर किया गया है।"

हिंदू पक्ष की याचिका मस्ज़िद कमेटी की एक लम्बित याचिका के साथ जोड़ दी गई है। ज्ञानवापी मस्ज़िद की देखरेख करने वाली कमेटी ऑफ मैंनेजमैंट अंजुमन इंतज़ामिया मस्ज़िद ने इससे पहले शीर्ष याचिका में एक अपील दायर की थी, जो कि लम्बित है। मस्ज़िद कमेटी की अपील में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने ए.एस.आई. को निर्देश दिए थे कि 16 मई 2022 को हुए एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान जो संरचना पायी गई थी, उसका मस्ज़िद को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे किया जाए।

ए.एस.आई. के सील्ड एरिया को छोड़कर पूरे मस्ज़िद परिसर के सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी के एक कोर्ट के सम्मुख 18 दिसम्बर को प्रस्तुत कर दी गई थी।

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हाल ही आयोजित एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में ए.एस.आई. की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए कहा था कि ज्ञानवापी मस्ज़िद जहां स्थित है, वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था। मस्ज़िद के भीतर स्वास्तिक, सर्प, कमल के फूल और घंटियों के चित्र उकेरे हुए मिले। ए.एस.आई. को सर्वे के दौरान हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां और मंदिर के टूटे हुए खंबों के अवशेष भी मिले।"

'हमें नीतीश की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुटकुला सुनाते हुए कहा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कुमार अपना मफलर लेने के लिए वापस राजभवन जाते हैं। "इससे गवर्नर को काफी आश्चर्य होता है। वह कहते हैं "क्या नीतीश जी आप इतनी जल्दी वापस आ गए? राहुल ने हंसी के ठहाकों के बीच कहा कि "नीतीश जी ऐसे ही हैं। थोड़ा सा दबाव पड़ने पर वह हथियार डाल देते हैं।" यह स्पष्ट करते हुए कि कुमार दबाव में क्यों हैं? राहुल ने सोशल जस्टिस का जिक्र किया जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत चाहे गए पांच न्याय में से एक है।

राहुल ने कहा कि "महागठबंधन बिहार में सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करेगा। हमें इसके लिए नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। हमें उनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।" इस बीच पूर्णिया की रैली को विफल करने के लिए मोदी सरकार ने हर संभव प्रयास किए। एनफोर्समैंट डॉयरैक्टोरेट (ई.डी.) ने 75 वर्षीय लालू यादव से कल 10 घंटे तक यह सुनिश्चित करने के लिए पूछताछ की कि, उन्हें इतना थका दिया जाए कि वह बंगाल से लगते पूर्वी बिहार के पूर्णिया जिले तक की यात्रा ना कर सकें। ई.डी. ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आज तलब किया, ताकि वह भी रैली को संबोधित करने पूर्णया ना जा सके।

सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेन्सियां इण्डिया गठबंधन के नेताओं को रोकने के कदम इसलिए उठा रही हैं क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भारी जनसमर्थन मिल रहा है और भाजपा उससे चिन्तित है।

पूर्णिया रैली में नहीं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

त्याग, तपस्या और बलिदान का रास्ता चुनने के लिए सराहना की।

उन्होंने कहा कि, "आज हम राजनीति के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जब बड़े-बड़े लोग स्वार्थी बन कर अपने छोटे-छोटे फायदों के लिए, अपनी अंतरात्मा का सौदा कर लेते हैं। लेकिन हमारे बीच एक व्यक्ति ऐसा भी है जो केवल सिद्धांतों पर राजनीति करता है और वह राजनीति के माध्यम से लोगों को केवल देने के बारे में सोचता है। वह व्यक्ति राहुल गांधी है।" उन्होंने कहा कि, यह गर्व की बात है कि, राहुल ने हर भारतीय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, "आज का दिन दो कारणों से बेहद अहम है, पहला, आज महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि है, दूसरा, आज ही के दिन, राहुल गांधी ने अपनी पहली "भारत जोड़ो यात्रा" का समापन किया था।"

खड़गे बोले, "कट्टरता से कभी किसी देश का भला नहीं हो सकता। आज कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, जिससे भाजपा बहुत बैचेन है, इसीलिए वह "इंडिया गठबंधन" को तोड़ने का काम कर रही है।"

उन्होंने आरोप लगाया, ई.डी., सी.बी.आई., आई.टी. सभी व्यस्त हैं। जो भी खेल महाराष्ट्र और बिहार में हुआ, वह जारी रहेगा, यहां तक कि लालू यादव के परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री के विरूद्ध भी सरकार ई.डी. का दुरूपयोग कर रही है। आप सबसे अपील है कि, ऐसा करने वालों को दंडित करें।

खड़गे ने कहा, मोदी जी ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जो वादे किये थे, उससे उलट काम किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ-भाजपा के लोग अपने भाषणों में समानता की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे धनवानों को और अधिक धनवान तथा निर्धन वर्ग को और अधिक गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। खड़गे ने आगे कहा कि, "आगामी चुनाव संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपसे वोट मांगते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी "भारत जोड़ो न्याय यात्रा" के विचार घर-घर तक पहुंचाएंगे।

'हमारी सरकार न पर्ची की है और न खर्ची की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- "तुष्टीकरण के आधार पर फैसला हो तो कानून और संविधान बौना हो जाता है। प्रदेश संविधान और कानून से चलेगा, ना कि तुष्टीकरण से।"

सेवा के कोई काम नहीं होता था। वह खर्ची की सरकार थी। केन्द्र सरकार से आया हुआ पैसा भी कांग्रेस के नेताओं ने विकास के काम में नहीं लिया, लिया तो कहां लिया, जिसकी जांचें चल रही हैं। ईडी घूम रही है। देख रहे हैं, किस तरह की भ्रष्टाचार की कहानी कहते हैं। राजस्थान जैसा भ्रष्टाचार किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि, राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल और 2.80 लाख हैक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मुहैया करवाने वाले ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ई.आर.सी.पी.) पर हमने मात्र 45 दिनों में निर्णय लिया। केन्द्र सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच एम.ओ.यू. हुआ, इस पर राजनीति ठीक नहीं। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों तक ई.आर.सी.पी. का सिर्फ जिक्र किया, इसकी फिक्र नहीं की, केवल जनता को गुमराह करते रहे।

ई.आर.सी.पी. के पुराने एम.ओ.यू. को लेकर बार-बार सवाल और हंगामा करने वाले कांग्रेस विधायकों से मुख्यमंत्री ने कहा, यह प्रोजेक्ट भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने बनाया, अब हमने इस पर एम.ओ.यू. किया। आपने तो पिछले 5 साल कुछ किया ही नहीं, अब राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हो कि, जो पानी राजस्थान आएगा, वह कम आएगा। ऐसा भ्रम फैलाना और जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं । मध्यप्रदेश पडौसी राज्य होने के बावजूद कांग्रेस उसका सहयोग नहीं ले पाई। जबकि पिछले दिनों खुद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जयपुर आए, मुझे साथ लिया और दिल्ली जाकर ई.आर.सी.पी. पर एम.ओ.यू. किया, वह भी हमारी शर्तों पर । काम करने की मंशा हो तो कुछ भी संभव है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद राजस्थान में कोयला नहीं ला पाए, इस कारण प्रदेश में बिजली संकट उत्पन्न हुआ। महंगी बिजली और घटिया कोयला खरीदकर राज्य का घाटा बढ़ाया। जो कोयला निजी कंपनियों के प्लांट्स में 75 फीसदी तक बिजली उत्पादन करता था, वह सरकारी प्लांट में 50 फीसदी रिजल्ट देता था, क्योंकि उस कोयले में मिट्टी और पत्थर आते थे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, कानून का राज कहने और होने में बड़ा अंतर होता है। करौली की घटना मुझे आज भी याद है, जब रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ। उदयपुर में कन्हैयालाल का क्या हाल किया, इससे पूरी दुनिया में प्रदेश की छवि को आघात लगा। जयपुर में एक युवक की हत्या के बाद उसको सांप्रदायिक रंग देकर माहौल खराब करने का काम किया गया। राजस्थान में बढ़ते महिला अपराधों को सदन के नेता ने फर्जी मामले बताया।

सी.एम. ने कहा कि, गहलोत सरकार के समय गैंगस्टर के हौसले इतने बुलंद थे कि जेल से ही उन्होंने अपना रैकेट शुरू कर दिया। प्रदेश में कहीं भी, किसी को भी मारकर या धमकाकर चले जाते थे। पूर्ववर्ती सरकार में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद थे कि आए दिन पुलिस पिटकर आती थी। पुलिस मजबूर थी क्योंकि वहां के भूमाफिया की सरकार के सांठगांठ थी। हमारा संकल्प है कि जो भ्रष्टाचार करेंगे, उन्हें नहीं छोडेंगे, और जो सिफारिश करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

चंडीगढ़ में भाजपा के मेयर की जीत को हाई...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिलकर चुनाव लड़ने के कारण आप उम्मीदवार के जीतने की भारी संभावना थी।

आप-कांग्रेस गठबंधन ने युक्तिपूर्वक विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार चुने। आप का प्रतिनिधित्व करने वाले कुमार ने मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा, जबकि, कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर व डिप्टी मेयर के लिए प्रत्याशी मैदान में उतारे।

सीनियर डिप्टी मेयर पोस्ट के लिए भाजपा के कुलदीप संधू का मुकाबला कांग्रेस के गुरप्रीत गाबी से था, जबकि, डिप्टी मेयर पद के लिए स्पर्धा भाजपा के रजिंदर शर्मा और कांग्रेस की निर्मला देवी के बीच थी।

यूनियन टैरिटरी मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत की घोषणा के कुछ ही घंटों के अंदर, निर्वाचित आप पार्षद कुलदीप कुमार चुनाव प्रक्रिया रद्द करने की मांग लेकर पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए।

उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि, सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की निगरानी में, नियम व कानून के तहत स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया फिर से करवाने के निर्देश दिए जाएं।

कुमार ने स्पैशल इन्वैस्टिगेटिंग टीम जैसी किसी स्वतंत्र एजेन्सी से चुनाव प्रक्रिया की जांच करवाने की मांग की, जिसका नेतृत्व यूनियन टैरिटरी सुपरिन्टैन्डैन्ट ऑफ पुलिस के हाथ में हो।

केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य उत्तरदाताओं के लिए 30 जनवरी को हुई चुनाव की पूरी पक्रिया को न्यायालय के अधीन सील करने, संरक्षित करने और उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए निर्देश भी मांगे गए, जिसमें मनपत्रों का रिकॉर्ड, चुनाव प्रक्रिया की कार्यवाही और वीडियोग्राफी शामिल है।

कुमार ने प्रतिवादी मनोज कुमार सोनकर को, मेयर के कार्यों के निर्वहन से रोकने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया। अधिवक्ता आर.पी.एस. बारा, के.एस. खरबन्दा और फेरी सोफत के माध्यम से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से, वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिन्दर सिंह के बहस करने की आशा है।

दिन भर घटी घटनाओं की जानकारी देते हुए, याचिकाकर्ता ने बताया कि समस्या तब शुरु हुई जब पीठासीन अधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को सभी उपस्थित लोगों को एक तरफ हटने से पहले ही मतपेटी को मेज़ पर रखी ट्रे में खाली करने का आदेश दे दिया। इसके पश्चात उन्होंने सदन में घोषणा की कि वह वोटों की गिनती शुरु करने जा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस और "आप" पार्षदों ने तुरंत यह मुद्दा उठाया कि प्रत्येक दल जो कि चुनाव लड़ रहा है, का एक मनोनीत पार्षद, निर्वाचित पीठासीन अधिकारी के साथ, इस गिनती में शामिल होना चाहिए, जिससे नियमों और उदाहरणों के अनुसार डाले गए वोटों की स्थिति की निगरानी हो सके।

उन्होंने कहा कि, प्रत्येक वोट की जाँच परख के लिए पीठासीन अधिकारी के साथ निर्वाचित पार्षदों की भी आवश्यकता होती है। किसी मत पर यदि कोई चिन्ह या कुछ अन्य निशान पाया जाता है तो उसे गिनती के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस तरह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मतों को वैध और अवैध के रूप में अलग किया जाता है। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने बहुत ही लचर तरीके से सदन को बताया कि वह चुनाव लड़ने वाले दलों द्वारा नामित सदस्यों से कोई सहायता नहीं चाहते हैं और मतों की गणना स्वयं ही करेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर चुप्पी साधे रहे तथा चुनाव कराने के लिए नियुक्त, संयुक्त आयुक्त या नगर निगम सचिव ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई।

याचिकाकर्ता ने आगे बताया कि, पीठासीन अधिकारी के सामने तीन टोकरियाँ रखी गई थीं, एक "आप" उम्मीदवारों के लिए, दूसरी भाजपा और तीसरी अवैध मतों के लिए। याचिकाकर्ता न कहा कि, वीडियोग्राफी से यह स्पष्ट हो गया है कि पीठासीन अधिकारी ने भ्रम पैदा करने के लिए मतों को एक टोकरी से दूसरी टोकरी में डाल दिया और इस दौरान "उन्होंने जालसाजी और छेड़छाड़ करके चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह से समझौता किया।

उन्होंने अक्कड़ तरीके से व्यवहार किया। उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत आदेशित "वीडियोग्राफी" में यह आसानी से देखा जा सकता है कि वोटों में फेरबदल करने के बाद उन्होंने संदिग्ध तरीके से व्यवहार किया और स्पष्टतः वो डाले गए मतों से छेड़छाड़ कर रहे थे।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह का यह कृत्य, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या के अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा, यह कृत्य न केवल अवैध है बल्कि अपमानजनक भी है, क्योंकि इससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संबंध में तथा चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के संबंध में दिए गए निर्देशों का प्रतिवादियों द्वारा उल्लंघन किया गया है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908